

न्यायालय तहसीलदार गडरारोड, जिला बाडमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 17/19 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

सायल

गैरसायल

राजस्थान सरकार जरिये

बनाम

शेखरी पुं० ६१२५५

पटवारी हल्का गिराव

जाति तारि निवासी गिराव
तहसील गडरारोड जिला बाडमेर।


निर्णय

पत्रावली आज वमुकाम गडरारोड में पेश हुई गैरसायल की उप./अनु. । पत्रावली का हमने अंशेवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गिराव ने धारा 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम गिराव के खसरा नंम्बर 659 रकबा 134-9 बीघा में से 80 बीघा किरम (कुछ धोश) राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण काशत किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि से वेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं साथ ही वार्षिक लगान के पुर्णांक का 50 गुणा जुर्माना राशि रूपये 50 अक्षर 120 रूपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसुल हो।

टी. आर .ए ,पटवारी हल्का , निरीक्षक भू.अ. आदेश से सुचित हो तथा पत्रावली टी. आर .ए के पास मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय दिनांक 31/5/19 को सरेआम सुनाया गया।


तहसीलदार गडरारोड
तहसीलदार गडरारोड

जुमाना 120 फसल नि.
कुल योग 120 जि.के पृष्ठ सं. 3
वर्ष 24/7-20 में इन्द्राज किया गया :

तहसील रोजरिठ लिखाकार